भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1193
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

झींगे का निर्यात

1193. श्री हैबी ईडन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने वाले जालों पर टर्टल एक्सक्लूसिव डिवाइसेस (टीईडी) का उपयोग न किए जाने के कारण संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत से झींगा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या केरल राज्य में प्रतिबंध से प्रभावित मछुआरा समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है अथवा कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): वाणिज्य विभाग, भारत सरकार मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एमपीईडीए) द्वारा वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के माध्यम से संयुक्त राज्य अमरीका के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से उठा रहा है । वाणिज्य विभाग ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स और नैशनल ओशियनिक एंड अटमोसफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के परामर्श से एवं एमपीईडीए के माध्यम से आईसीएआर – सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीस टेक्नोलोजी द्वारा निर्मित टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) के कई रूपों (वरशन्स) का परीक्षण किया है । इसके अलावा, वाणिज्य विभाग ने एमपीईडीए के माध्यम से टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की है और देश के सभी प्रमुख हार्बर और लैंडिंग केंद्रों पर नाव मालिकों और मछुआरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग ने भारत और अमेरिका के बीच आधिकारिक और मंत्रिस्तरीय विभिन्न द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से इस मामले को उठाया है। इस तरह के कुछ हालिया हस्तक्षेप जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया – यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम (टीपीएफ) और सितंबर 2024 में आयोजित ट्रेड पॉलिसी फोरम इंटरसशनल के माध्यम से हुए हैं। साथ ही, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे

वाइल्ड श्रिम्प की हार्वेस्टिंग और ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) के उपयोग के विशेष संदर्भ में अपने संबंधित समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम / मरीन फिशरीस रेगुलेशन एक्ट (एमएफआरए) की समीक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे टर्टल संरक्षण क्षेत्रों की तत्काल घोषणा पर विचार करें और फिशिंग के समय टर्टल संरक्षण उपायों के सख्त अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों और मछुआरों को जागरूक करें। वर्तमान में 13 तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 ने टीईडी के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए अपने एमएफआर एक्ट्स (मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट्स) में संशोधन कर लिया है ।

यूएसए ने भारतीय श्रिम्प आयात पर और केरल से श्रिम्प आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं किया है । ये प्रतिबंध मुख्य रूप से टर्टल के संरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण प्राकृतिक (वाईल्ड) रूप से पकड़े गए श्रिम्प पर लक्षित हैं। हालांकि अमेरिका को प्राकृतिक (वाईल्ड) रूप से पकड़े गए श्रिम्प का निर्यात वर्तमान में सीमित है, तथापि अन्य देशों को वाइल्ड कॉट श्रिम्प का निर्यात अप्रभावित है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्यन पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि के सप्लीमेंट के तौर पर, राज्य सरकार, राज्य योजना के अनुसार प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान समुद्री मछुआरों को अतिरिक्त राशि भी प्रदान कर सकती है। वार्षिक मत्स्यन प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के अलावा, पीएमएमएसवाई योजना में समुद्री मछुआरों की आय सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त या वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कई गतिविधियाँ हैं जिसमें सी वीड कल्टीवेशन, मरीन केज कल्टीवेशन, फिश मार्केटिंग के लिए फिश कियोस्क आउटलेट, मोबाइल वेंडिंग आउटलेट और खारे पानी की जलीय कृषि को अपनाने के लिए सहायता आदि शामिल है ।

*****